



98538 - कर्ज दार का मामूली किराये के बदले गिरवी रखे हुए घर में निवास से लाभान्वित होना

प्रश्न

हमारे यहाँ घरों को रेहन में रखने का एक सिस्टम पाया जाता है, और वह इस प्रकार है कि : एक निर्धारित राशि उदाहरण के तौर पर एक मिलियन लीरा, या उस से कम या उस से अधिक राशि लेकर घर को रेहन में रखा जाता है, और उस घर में ऋणदाता एक सीमित अवधि उदाहरण के तौर पर एक या दो वर्ष के लिए निवास करता है, और उस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद वही राशि बिना वृद्धि या कमी के लौटा दी जाती है और उसका एक बहुत ही कम किराया प्रति वर्ष 100 डालर लिया जाता है, तो क्या हलाल है या हराम ? और क्या यह सूद की शकलों में से एक शकल है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान अल्लाह के लिए योग्य है।

यदि आप के प्रश्न का मकसद यह है कि आप उदाहरण के तौर पर दस लाख लीरा उधार लेती हैं, और अपने घर को रेहन में रख देती हैं, और कर्ज दात प्रति वर्ष एक बहुत ही कम किराया 100 डालर के बदले उस घर में निवास करता है, तो यह सूद है ; क्योंकि यह ऐसे कर्जके अध्याय से है जो लाभ को जन्म देता है, चुनाँचि कर्ज दाता एक मामूली किराया देकर उस घर में आवास का लाभ उठाता है जो उसके समान अन्य घरों के किराये के बराबर नहीं होता है।

यदि उसके समान घरों का किराया मिसाल के तौर पर 200डालर प्रति वर्ष है, लेकिन कर्ज दाता केवल 100डालर देता है, तो इस तरह उस ने तुम्हें कर्जदेने की वजह से 100 डालर का लाभ उठाया, और फुकहा (धर्म शास्त्री) इस बात पर एक मत हैं कि लाभ को जन्म देना वाला हर कर्जसूद है।

इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह का कहते हैं : "हर कर्ज जिस में यह शर्त लगाई गयी है कि वह बढ़ा कर देगा तो वह हराम है, इस में किसी का कोई मतभेद नहीं है। इब्नुल मुन्ज़िर कहते हैं : "इस बात पर सर्वसम्मति है कि अगर ऋण दाता उधार लेने वाले पर वृद्धि या उपहार की शर्त लगाये, फिर इसी आधार पर उसे उधार दे, तो उस पर वृद्धि का लेना सूद है। उबै बिन कअब, इब्ने अब्बास और इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुम से वर्णित है कि उन लोगों ने लाभ को जन्म देने वाले कर्जसे रोका है।"

"अल-मुगनी" (6/436)से समाप्त हुआ।

इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह ने उल्लेख किया है कि कर्ज दाता के लिए रेहन से लाभ उठाना बिना उस का किराया दिये हुये



जाइज़ नहीं है क्योंकि वह ऐसा कर्ज़ हो जायेगा जो लाभ को अर्जित करता है, और यह हराम है।

तथा इमाम अहमद से उद्धृत किया गया है कि उन्होंने ने कहा : मैं घरों के कर्ज़ को नापसंद करता हूँ, और वह निरा सूद है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि : उन का मतलब यह है कि : "जब घर किसी कर्ज़ में रेहन रखा हुआ हो जिस से ऋण दाता लाभ उठाता हो।"

लेकिन यदि यह लाभ उठाना किसी चीज़ के बदले में हो, उदाहरण के तौर पर ऋण दाता ने कर्ज़दार से घर को किराया पर ले लिया और बिना किसी पक्षपात के उसी के समान किराये का भुगतान किया तो ऐसा करना जाइज़ है, क्योंकि उस ने कर्ज़ से लाभ नहीं उठाया है।

और अगर पक्षपात से काम लिया है (अर्थात् जितना किराया उस तरह के घरों का होना चाहिए उस से कम लिया है) तो यह जाइज़ नहीं है।

देखिये : "अल-मुग़नी" (4/250)

इस से ज्ञात होता है कि ऋण दाता से पक्षपात करना जाइज़ नहीं है, बल्कि उस से उसी के समान घरों की तरह किराया लिया जायेगा, अन्यथा दोनों ही सूद में फँस जायेंगे। और सूद हराम है भले ही वह दोनों पक्षों की सहमति से ही क्यों न हो।

तथा इफ़्ता की स्थायी समिति के विद्वानों से प्रश्न किया गया कि : मिस्र के कुछ गांवों में कृषि भूमि को रेहन (गिरवी) रखने की परंपरा का चलन पाया जाता है, जिस के अंतर्गत एक आदमी जिसे पैसे की ज़रूरत होती है उस आदमी से जो पैसे का मालिक होता है, पैसे लेता है, और पैसे लेने के बदले में पैसे का मालिक रेहन के तौर पर कृषि भूमि लेता है जो कि कर्ज़दार की संपत्ति होती है, पैसे का मालिक (ऋण दाता) ज़मीन को ले लेता है और उसके फलों और उत्पादन से लाभ उठाता है, और ज़मीन के मालिक को उस ज़मीन के उत्पादन से कुछ भी नहीं मिलता है, और वह कृषि भूमि निरंतर ऋण दाता के कब्जे में रहती है यहाँ तक कि कर्ज़दार पैसे के मालिक को उस के पैसे वापस लौटा दे। तो इस का क्या हुक्म है ?

तो उन्होंने ने उत्तर दिया कि :

"जिस ने किसी आदमी को कोई कर्ज़ दिया तो उस के लिए जाइज़ नहीं है कि वह कर्ज़ लेने वाले पर कर्ज़ के बदले में किसी लाभ की शर्त लगाये ; क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप ने फरमाया : "हर वह कर्ज़ जो लाभ को अर्जित करता है, वह सूद है।" और इस बात पर विद्वानों की सर्वसहमति है, और इसी के अंतर्गत वह स्थिति भी आती है जिसका प्रश्न में उल्लेख किया गया है कि कर्ज़ लेने वाला, कर्ज़ देने वाले को ज़मीन रेहन पर देता है, और कर्ज़दाता उस से लाभ उठाता है यहाँ तक कि ज़मीन का मालिक अपने ऊपर अनिवार्य कर्ज़ का भुगतान कर दे। इसी प्रकार अगर उस का उस के ऊपर कर्ज़ अनिवार्य हो, तो कर्ज़दाता के लिए कर्ज़दार को मोहलत देने के बदले में ज़मीन के उत्पादन को लेना और उस से



लाभ उठाना जाइज नहीं है, इसलिए कि रेहन का उद्देश्य कर्जकी प्राप्ति के लिए दस्तावेज और प्रमाण का जुटाना है, कर्जके बदले में रेहन का शोषण करना, या कर्जके भुगतान में उपेक्षा करना नहीं है। और तआला ही तौफीक प्रदान करने वाला (शक्ति का स्रोत) है, तथा अल्लाह तआला हमारे सन्देशा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, आपकी संतान और आप के साथियों पर दया और शांति अवतरित करे।" (समाप्त हुआ।)

"फतावा अल्लज्जह अद्दाईमह" (14/177)

चेतावनी :

और यदि आप के कहने का मतलब यह है कि आप उस घर में रहती हैं जो आप की संपत्ति है और आप ने उसे रेहन रख दिया है और आप यह साधारण किराया 100 डॉलर सालाना ऋण दाता को देती हैं, तो यह भी वैध नहीं है, क्योंकि कर्ज देने वाले के लिए अपने कर्ज के बदले में कुछ भी लेना जाइज नहीं है चाहे वह मामूली चीज ही क्यों न हो, और रेहन तो मात्र उसके हक की रक्षा के लिए है, वह उस से कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता।

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।